U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kij
ihBklhu vf/kdkjh %ch- ,y- dkBkjh] vkb-,-,l

jktLo f}rh; vihy l[;k 20@2018

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
कसना पुत्र धरमा कोली निवासी— वरमाण तहसील रेवदर सिरोही।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही। 2. रताराम पुत्र अजई 3. शारदा पुत्री अजई 4. नर्मदा पुत्री अजई 5. कीकी पुत्री अजई 6. गुलाबी पुत्री अजई 7. होजी पत्नी अजई 8. लूम्बाराम पुत्र भूरा 9. नगाराम पुत्र भूरा 10. हंसाराम पुत्र भूरा 11. सोनाराम पुत्र भूरा 12. सोमाराम पुत्र भूरा 13. करनाराम पुत्र भूरा 14. जोशना पुत्र भूरा निवासीगण वरमाण तहसील रेवदर जिला सिरोही।

द्वितीय राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 भू— राजस्व अधिनियम बरखिलाफ आदेश दिनांक 28.6.2018 जो अति0 जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 14/2017 अनवान कसना बनाम राज्य वगैराह में पारित किया गया।

mifLFkfr%&&

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलाटस की ओर से उपस्थित।
2. श्री, ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता, रेस्पो.सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री राजेश शाह, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2 ता 14 की ओर से।

fu.k;

fnukd 24 fnlEcj] 2019

1. अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत की ओर से अति0जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 14/2017 अनवान कसना बनाम राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 28.2.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम वरमाण के कृषि भूमि खसरा संख्या 624 रकबा 25.08 बीघा तथा ख0सं0 623 रकबा 4.07 बीघा, ख0सं0 629 रकबा 20.17 बीघा, ख0सं0 635 रकबा 2.01 बीघा, ख0सं0 636 रकबा 4.09 बीघा, ख0सं0 637 रकबा 0.13 बीघा व ख0सं0 638 रकबा 9.15 बीघा भूमि में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा भूमि आई हुई थी।

3. रेस्पो0 संख्या 2 ता 14 के पूर्वजान द्वारा किये जाने पर सहायक कलेक्टर सिरोही के समक्ष वाद संख्या 50/1986 अन्तर्गत धारा 88, 65 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिस पर सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.1996 को डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है उक्त डिक्री आदेश की पालना में दिनांक 11.5.2017 को नामा0 संख्या 2016 उपतहसीलदार मण्डार के द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त अपीलाधीन नामा0 आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने प्रथम अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की। अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रस्तुत अपील पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने केउपरान्त अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2018 से अस्वीकार कर दी। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

4. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

5. हमने दोनों पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।

6. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय ने अपील सरसरी तौर पर निर्णित की है जबकि अपील में निहित मुख्य बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया गया।

7. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त किया हुआ है जिसका अंकन जमाबन्दी में भी किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में बैंक का नाम हटाने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नामा0 कार्यवाही के जरिये नहीं की जा सकती थी।

8. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील विचाराधीन है, ऐसे में भी उस अपील के विचाराधीन रहते राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज परिवर्तित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं था। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और न ही आज दिन में है। तहसीलदार ने बिना कब्जे की जॉच किये नामा0 स्वीकार कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

9. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि के संदर्भ में पहले से राजस्व वाद विचाराधीन है ऐसे में भी राजस्व रेकर्ड में कोई इन्द्राज नहीं बदला जाना चाहिये था और राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन द्वितीय अपील के निर्णय का इन्तजार किया जाना चाहिये था। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अति0 जिला कलेक्टर सिरोही एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 2016 पर पारित आदेश को निरस्त किया जावें।

10. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टट संख्या 2 ता 14 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

11. रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 2016 सहायक कलेक्टर सिरोही न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/86 में पारित डिक्री आदेश दिनांक 21.02.1996 की पालना में वादी

भूरा पुत्र लखमा के फौत होने से उनके वारिसान के हक में निर्णय अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जो डिक्री आदेश की पालना में किया गया है वो बहाल रखे जाने योग्य है।

12. अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा यह कहा जाना कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील विचाराधीन है ऐसे में जब तक अपील का निर्णय नहीं हो जाता तब तक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं बदले जा सकते थे, इस सम्बन्ध में नामा0 स्वीकृति के समय किसी भी राजस्व न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ नहीं था जिससे नामा0 कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता हो अथवा नामा0 स्वीकृत नहीं किया जा सकता था, मात्र डिक्री आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हो जाने के आधार पर डिक्री आदेश की पालना रोकी नहीं जा सकती थी। इस प्रकार उप तहसीलदार मण्डार के द्वारा उक्त डिक्री आदेश दिनांक 21.02.1996 की पालना में जो अपीलाधीन नामा0 संख्या 2016 स्वीकृत किया गया था वो पूर्ण रूप से उचित है जो बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

13- हमने उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रथम अपील में यह अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है कि '' सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/1986 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 21.12.1996 की पालना में नामान्तरकरण होकर स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जाती है।''

14- हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रृटि नहीं की है क्योंकि जब तक सक्षम न्यायालय स्तर पर सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित डिक्री निर्णय को निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक उसकी पालना में

स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील अस्वीकार जाने योग्य है।

15- अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tk/ki|j